न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 29/2018 ई.रे.

1– लछमण पिता भाना खटीक निकुम्भ तहसील बडीसादडी
2– आशाराम पिता भाना खटीक निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी

——वादीगण

बनाम

1– नानुराम पिता मंगना खटीक मृतक बजाय –
1/1– देवीलाल पिता नानुराम खटीक निवासी निकुम्भ तहसील बड़ीसादड़ी
1/2–भगवतीलाल(भग्गा) पिता नानुराम खटीक निवासी निकुम्भ तहसील बड़ीसादड़ी
1/3–कंचन पत्नी स्व. नानुराम खटीक निवासी निकुम्भ तहसील बड़ीसादड़ी
2–उदयलाल पिता नानुराम खटीक निवासी निकुम्भ तहसील बड़ीसादड़ी
3–किशनलाल पिता नानुराम खटीक निवासी निकुम्भ तहसील बड़ीसादड़ी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188, 209 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // **दिनांक :– 30/10/2025**

वादीगण की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1. मौजा निकुम्भ में सम्वत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी के अनुसार खतौनी सं. 699 के अन्तर्गत आराजी खसरा नं. 4332 रकबा 0.23 है स्थित है तथा यह आराजी वादी लछमण के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम निकुम्भ में ही खतौनी सं. 40 के अन्तर्गत आराजी खसरा नं. 4529/4332 रकबा 0.23 हैक्ट. स्थित है तथा यह आराजी वादी आशाराम के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादपत्र में आगे उक्त आराजीयात को सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा।
2. वादग्रस्त आराजी वादीगण को अपने पिता स्व. भाना खटीक से विरासत में प्राप्त हुयी इस प्रकार यह आराजी वादीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पति है तथा इस आराजी से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक अधिकार से वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में अवैध रूप से दखलंआजी करते हुये कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा वादीगण के साथ में इस बाबत लडाई झगड़ा और गाली गलौच करते है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार समझाने का प्रयास किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी पैतृक सम्पति होकर वादीगण को अपने स्व. पिता भाना जी से प्राप्त हुयी है लेकिन प्रतिवादीगण कुछ भी समझने व मानने को तैयार नहीं है
3. प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की खाते व कब्जे की पुश्तैनी पैतृक आराजी पर अवैध रूप से लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिया जायेगा तो वादीगण अपने स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी के उपयोग उपभोग से सदैव के लिए वंचित हो जायेंगे तथा वादीगण को ऐसी अकूत हानि होगी कि उसकी पूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 14:50:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं होगी इसलिये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

अतः वादपत्र निम्नानुसार डिकी फरमावे–

(क) कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे की वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे तथा वादग्रस्त को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

(ख) कि वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान मौखिक स्थिति में परिवर्तन कर दिये जाने की स्थिति में पुनः आज की स्थिति बहाल करायी जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से लक्ष्मणसिंह झाला एडवोकेट ने पावर पेश किया । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 14.06.2022 के अनुसार प्रतिवादी नं. 1 व 2 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी नं. 3 की ओर से न तो कोई पावर पेश हुआ न ही स्वयं उपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। और पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में लक्ष्मण, आशाराम के बयान लेखबद्ध किये गये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा निकुंभ पटवार हल्का निकुंभ की आराजी नम्बर 4332 रकबा 0.23 हैक्ट. तथा आराजी नं. 4529/4332 रकबा 0.23 हैक्ट. भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात में किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करे तथा वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। धारा 209 आर.टी.एक्ट. की दाद वकील वादी साबित करने में असफल रहा है। इसलिय धारा 209 आर.टी.एक्ट. की दाद खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30/10/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:50:03 IST
Reason: SelfAttested